रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 112] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 7, 1972/चैत्र 18, 1894
No 112] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 7, 1972/CHAITRA 18, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Delhi Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April 1972

G.S.R. 241(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Delhi Sikh Gurdwara Act, 1971 (82 of 1971), the Central Government hereby appoints the 7th day of April, 1972, as the date on which the said Act shall come into force.

[No. F. 28/2/72-Delhi.]
G. K. BHANOT, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

दिल्ली विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1972

सा० का० नि० 241(अ).—दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 (1971 का 82) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अप्रैल, 1972 का 7वां दिन वह तारीख निश्चित करती है, जिस तारीख को उक्त अधिनियम लागू होगा।

[संख्या एफ० 28/2/72-दिल्ली]
जी० के० भनोत, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972